भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4357
19 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

मछुआरों के कल्याण संबंधी राष्ट्रीय योजना

4357. कु. सुधा आर. :

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2020 से राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना (एनएसडब्ल्यूएफ) के अंतर्गत मछुआरों और उनके परिवारों को दिए गए लाभों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;
(ख) क्या वर्ष 2020 से एनएसडब्ल्यूएफ द्वारा मछुआरों के रहन-सहन की स्थिति और आय में वृद्धि हुई है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मछुआरों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थाई और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने हेतु 2020-21 से एक प्रमुख योजना 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियों की परिकल्पना की गई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल है - (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर 5.00 लाख रुपए, स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता पर 2.50 लाख रुपए और आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 रुपए का समूह दुर्घटना बीमा कवरेज (ii) मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरे परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता, जिसमें मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान प्रति मछुआरे को तीन महीने के लिए 3000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है और इसमें लाभार्थियों का अपना अंशदान 1500 रुपए होता है, (iii) सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 364.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 1,00,000 फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोंडर की स्थापना ताकि मछुआरों को समुद्र में किसी भी आपात स्थिति के दौरान टू वे कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके, (iv) फिशिंग वेसल्स की बीमा सहायता, (v) जाल और नाव की रीप्लेसमेंट और साथ ही डीप सी फिशिंग के लिए फिशिंग वेसल्स के अधिग्रहण और उन्नयन के लिए सहायता।

इसके अतिरिक्त, PMMSY के अंतर्गत पोस्ट हारवेस्ट नुकसान को कम करने और आय बढ़ाने के लिए फिशिंग हार्बर, फिश लैंडिंग सेन्टर्स, कोल्ड चेन और मारकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, प्रशिक्षण, कौशल विकास और मात्स्यिकी सहकारी समितियों, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑरगेनाईज़ेशन (FFPOs) के गठन में भी सहायता प्रदान की जाती है ताकि हितधारकों को आधुनिक तकनीकों और सामूहिक बारगेनिंग पावर से सशक्त बनाया जा सके। इसके अलावा, PMMSY तटीय मछुआरा समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने और मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखलाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और सस्टेनेबल रिसोर्स मेनेजमेंट के लिए क्लाइमेंट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजस और मॉडल कोस्टल फिशिंग विलेजस के विकास को लागू करते हुए सीवीड फार्मिंग, जलाशय में केज कल्चर, ओरनामेंटल फिशरीस और समुद्री कृषि के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग ने एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन करवाया है ताकि मछुआरों की जीवन स्थितियों में सुधार और आय में वृद्धि सहित इस योजना के प्रभाव और परिणाम ज्ञात हो सके ।

****